Toppersnotes®
Unleash the topper in you

उत्तराखण्ड

टैक्स एवं रेवेन्यू इंस्पेक्टर

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC)

भाग - 3

भारत की राजव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	भारतीय संविधान का निर्माण	1
2	भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ	8
3	संविधान की प्रस्तावना	16
4	मौलिक अधिकार	21
5	राज्य के नीति निदेशक तत्व	43
6	मौलिक कर्तव्य	48
7	राष्ट्रपति	50
8	कार्यपालिका	57
9	संसद (भाग– V अनुच्छेद 79–122)	62
10	न्यायपालिका	87
11	संविधान में संशोधन	106
12	संवैधानिक निकाय	113
13	आपातकालीन प्रावधान	120
14	गैर–संवैधानिक निकाय	127
15	अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाएँ	133
16	भारत में कृषि	138
17	उद्योग और अवसंरचना	157
18	सेवा क्षेत्र	174
19	शहरीकरण	182
20	अन्य महत्वपूर्ण विषय	189
21	भारत का बजट 2026–27	195
22	आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26	204

1 CHAPTER भारतीय संविधान का निर्माण

➢ **संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है**, जो सरकार की संरचना, शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है।

जैसे- भारत का संविधान।

संविधान से संबंधित शब्दावली:

1. **संवैधानिकता (Constitutionalism):**

✓ संवैधानिकता वह सिद्धांत है, जिसके अनुसार **सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित** होती हैं और शासन संविधान में निर्धारित नियमों व मूल्यों के अनुरूप संचालित किया जाता है।

✓ **फ्रेडरिक मतानुसार** संवैधानिकता यह सुनिश्चित करती है, कि सरकार नियमों के दायरे में कार्य करे, जिससे निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिले ।

✓ संविधान शासन की रूपरेखा को दर्शाता है तथा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं को परिभाषित करता है तथा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान की सीमाओं के अंतर्गत होते हैं।

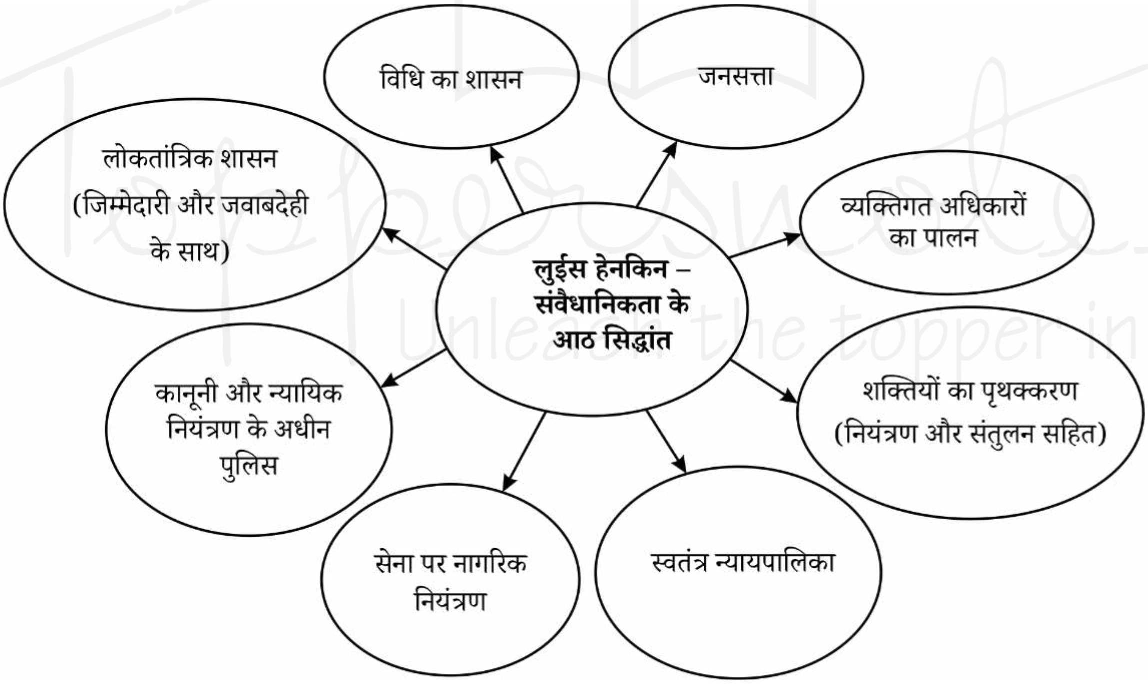

2. **संविधान बनाम संवैधानिकता**

एक देश के पास **लिखित संविधान** हो सकता है, लेकिन यदि सरकार संविधान के स्थापित नियमों के बाहर कार्य करती है, तो वहाँ वास्तविक संवैधानिकता का अभाव हो सकता है , जैसा कि तानाशाही शासन में देखा जाता है, जहाँ संविधान औपचारिक रूप से मौजूद होता है, परंतु शासन शक्ति के मनमाने प्रयोग द्वारा अधिकारों, संस्थागत संतुलन और उत्तरदायित्व की उपेक्षा करता है। जिससे निष्पक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व कमजोर हो जाते हैं।

संविधान के प्रकार

- **लिखित संविधान:** यह एक औपचारिक दस्तावेज़ होता है जिसमें राज्य के शासन से संबंधित सभी मूल नियम, सिद्धांत और व्यवस्थाएँ एक लिखित दस्तावेज़ के रूप में स्पष्ट रूप से संकलित होती हैं एवं जो सरकार की संरचना, शक्तियों के वितरण और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। उदाहरण: अमेरिका का संविधान
- **अलिखित संविधान:** अलिखित संविधान ऐसा संविधान होता है जो एकल दस्तावेज़ की बजाय क़ानूनों, परंपराओं, न्यायिक निर्णयों और प्रथाओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम (UK) का संविधान
- **लचीला संविधान:** ऐसा संविधान जिसे साधारण कानूनों की तरह आसानी से संशोधित या बदला जा सकता है। उदाहरण: ब्रिटिश संविधान
- **कठोर संविधान:** ऐसा संविधान जिसमें संशोधन के लिए जटिल और कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि बदलाव आसानी से न हो सके। उदाहरण: अमेरिका का संविधान
- **संघात्मक संविधान:** इस प्रकार के संविधान मैं केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। उदाहरण: जर्मनी
- **एकात्मक संविधान:** इस प्रकार के संविधान में सभी शक्तियाँ एक केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार में निहित होती हैं और क्षेत्रीय स्वायत्तता सीमित होती है। उदाहरण: यूनाइटेड किंगडम का संविधान
- **राष्ट्रपति प्रणाली वाला संविधान:** इसमें इस व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच बीच स्पष्ट पृथक्करण होता है तथा राष्ट्रपति ही राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख होता है। उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका
- **संसदीय प्रणाली वाला संविधान:** संसदीय प्रणाली मैं कार्यपालिका अपनी शक्ति विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। उदाहरण: भारत
- **राजतांत्रिक संविधान:** इस प्रकार की व्यवस्था में राजा या रानी राज्य का प्रमुख होता है, जिसकी शक्तियाँ सीमित (संवैधानिक) या व्यापक (संपूर्ण) हो सकती हैं। उदाहरण: स्वीडन
- **गणराज्यात्मक संविधान:** गणराज्यात्मक संविधान वह संविधान होता है, जिसमें राज्य का प्रमुख निर्वाचित होता है और उसका पद वंशानुगत उत्तराधिकार पर आधारित नहीं होता। उदाहरण: फ्रांस
- **धार्मिक संविधान:** इस प्रकार का संविधान धार्मिक कानूनों पर आधारित होता है, जहाँ सरकार धर्मशासकों द्वारा संचालित या प्रभावित होती है। उदाहरण: ईरान
- **धर्मनिरपेक्ष संविधान:** यह **धर्मनिरपेक्ष संविधान** वह संविधान होता है जिसमे धर्म को सरकार से अलग रखा जाता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। उदाहरण: भारत का संविधान

संविधान सभा की माँग

संविधान सभा की मांग

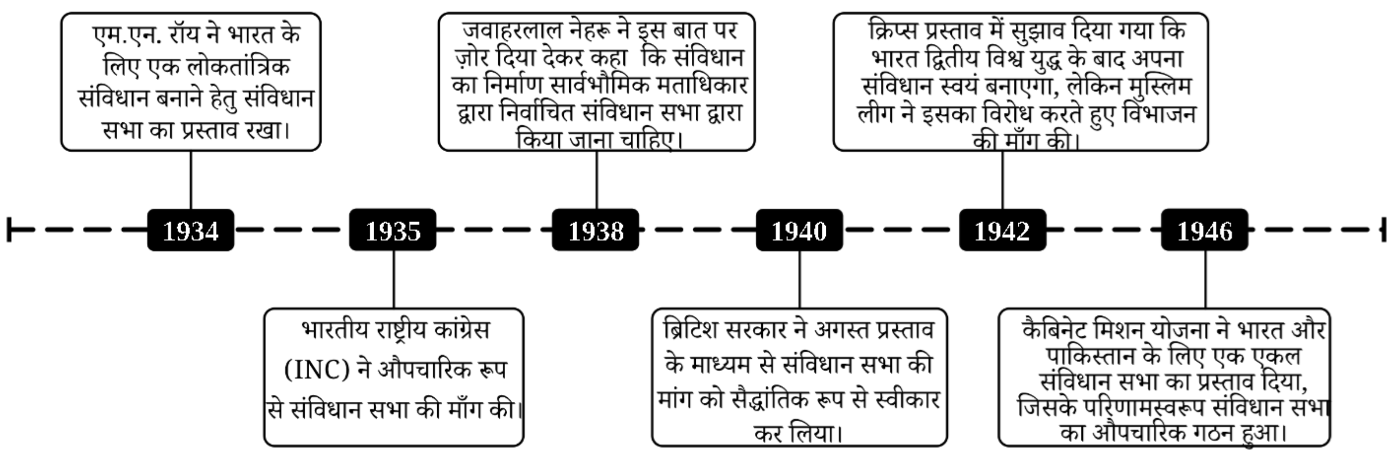

संविधान सभा की महत्वपूर्ण तिथियाँ

- **9 दिसंबर, 1946: संविधान सभा की पहली बैठक** हुई, इसमें डॉ. **सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष** बने तथा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया।
- **11 दिसंबर, 1946:** डॉ. **राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थाई अध्यक्ष निर्वाचित** हुए, **उपाध्यक्ष** के रूप मैं : **एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी निर्वाचित** हुए।
- **13 दिसंबर, 1946: जवाहरलाल नेहरू** द्वारा **उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) प्रस्तुत** किया गया गया।
- **22 जनवरी, 1947: उद्देश्य प्रस्ताव और राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया।**
- **15 अगस्त, 1947:** सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप **भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों** के रूप में अस्तित्व में आए।
- **मई, 1949:** भारत ने ब्रिटिश **राष्ट्रमंडल (Commonwealth) की सदस्यता** को औपचारिक रूप से स्वीकार किया।
- **26 नवंबर, 1949:** भारत का **संविधान को ओपचारिक रूप से अंगीकृत** किया गया।
- **24 जनवरी, 1950: राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को औपचारिक रूप से अंगीकृत** किया गया और इसी दिन **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित** किया गया इसके साथ ही संविधान सभा का अंतिम सत्र सम्पन्न हुआ।
- **26 जनवरी, 1950:** भारत का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य के रूप मैं स्थापित हुआ ।

उद्देश्य प्रस्ताव

1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के भावी संविधान के मूल सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

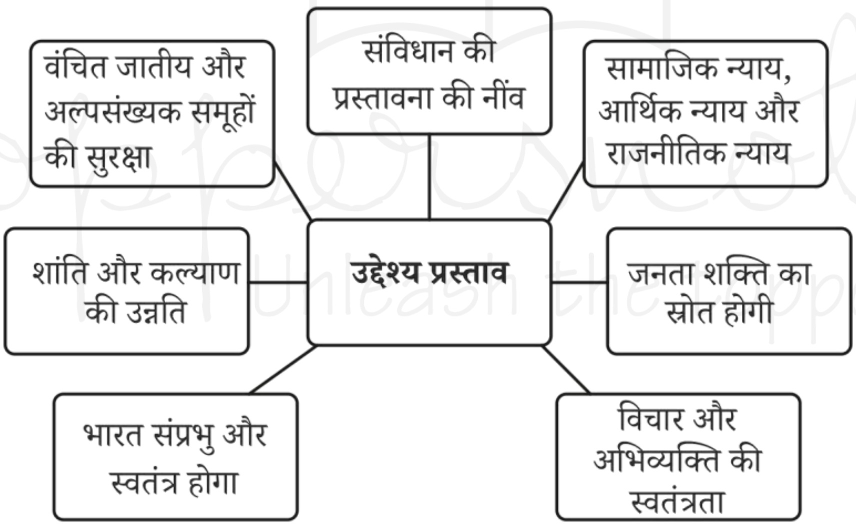

भारतीय संविधान सभा

नवंबर, 1946 में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था, , जो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी।

वर्गीकरण	विवरण
स्थापना	नवंबर, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत **भारत की संविधान सभा का गठन** हुआ।
सदस्य संख्या	संविधान सभा में **कुल 389 सदस्य थे: जिनमे 296 प्रांतों** से निर्वाचित हुए थे और **93 देशी रियासतों** द्वारा नामित हुए थे।

संरचना	इसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधितव था , जिसमे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और इन समुदायों की महिलाएँ शामिल थी।
सीटों का आवंटन	संविधान सभा में **सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर** किया गया था और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत में **सीटें मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के बीच विभाजित** की गई थीं।
मतदान की पद्धति	प्रांतीय प्रतिनिधियों के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा नामित किया गया।
प्रतिभागी	संविधान सभा का गठन आंशिक रूप से ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित और आंशिक रूप से देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित सदस्यों द्वारा किया गया था। इसके सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष माध्यम से चुने गए थे।
गैर-भागीदार	**महात्मा गांधी ने संविधान सभा की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था** । इसके अतिरिक्त देशी रियासतों की 93 सीटें भी प्रारंभिक चरण में उनके सम्मिलित न होने के कारण रिक्त रहीं।
अन्य तथ्य	**संविधान सभा ने कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों की अवधि** में 11 सत्रों का आयोजन किया । इस पर 64 लाख रुपये का व्यय हुआ और हाथी को संविधान सभा के मुहर चिह्न (Official Seal) के रूप में अपनाया गया।
स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 द्वारा लाए गए परिवर्तन	संविधान सभा एक पूर्णतः संप्रभु निकाय के रूप मैं कार्यरत थी , जिसके दो मुख्य कार्य थे- ➢ **विधान मंडल के रूप में — अध्यक्ष: जी. वी. मावलंकर** बने ➢ **संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में — अध्यक्ष: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** बने ➢ स्वतंत्रता के बाद और मुस्लिम लीग के सदस्यों के हटने के पश्चात सदस्यों की संख्या घटकर मात्र 299 रह गई।
प्रमुख व्यक्ति	➢ **बी. एन. राव – संवैधानिक सलाहकार** नियुक्त हुए ➢ एच. वी. आर. अय्यंगर – सचिव के रूप में नियुक्त हुए ➢ एस. एन. मुखर्जी – मुख्य प्रारूपकर्ता (Chief Draftsman) नियुक्त हुए ➢ प्रेम बिहारी रायजादा – लेखनकर्ता (Calligrapher) नियुक्त हुए ➢ नंदलाल बोस और बी. आर. सिन्हा – संविधान की साज-सज्जा का प्रभार दिया गया ➢ हिंदी में सुलेखन – वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा हिंदी सुलेखन का कार्य किया गया ➢ सजावट – नंदलाल बोस द्वारा संविधान सजावट की गयी

संविधान सभा के लिए गठित समितियाँ

संविधान सभा ने संविधान के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया तथा छोटे समूहों का निर्माण किया गया जिसके द्वारा विस्तार से प्रत्येक विषय में शोध और चर्चाएँ की गई।

Toppers Notes Unleash the topper in you

प्रमुख समितियाँ:

अध्यक्ष	समितियाँ
जवाहरलाल नेहरू	➢ **विशेषज्ञ समिति (Expert Committee)** के अध्यक्ष बनाये गये, इसे कांग्रेस द्वारा 8 जुलाई, 1946 को गठित किया गया था, इसमें संघीय शक्तियाँ, संघीय संविधान और रियासतों से संबंधित समितियाँ शामिल थीं। ➢ **अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू** बनाये गये ➢ **उद्देश्य:** संविधान सभा के लिए विषयवस्तु तैयार करना इसका मुख्य कार्य था ➢ **सदस्य:** एम. आसफ अली, के.एम. मुंशी, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, के.टी. शाह, डी.आर. गाडगिल, हुमायूं कबीर, के. संथानम इसके अन्य सदस्य थे
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	➢ नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष बनाये गये |
सरदार पटेल	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाये गये (इसमें 5 उप-समितियाँ थीं)- ➢ **मौलिक अधिकार** उप समिति **:** जे.बी. कृपलानी ➢ **अल्पसंख्यक** उप समिति**:** एच.सी. मुखर्जी ➢ **उत्तर-पूर्व सीमांत और** असम **के बहिष्कृत क्षेत्र** पर उप समिति**:** गोपीनाथ बोरदोलोई ➢ **अन्य बहिष्कृत क्षेत्र** पर उप समिति**:** ए.वी. ठक्कर
डॉ. भीमराव अंबेडकर	**प्रारूप समिति** में कुल 7 सदस्य थे: ➢ **अध्यक्ष: डॉ. बी.आर. अंबेडकर** को बनाया गया | ➢ **सदस्य:** एन. गोपालस्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (बी.एल. मित्तेर के स्थान पर), टी.टी. कृष्णमाचारी (डी.पी. खेतान के निधन के बाद नियुक्त) अन्य सदस्यों मैं शामिल थे| **प्रारूप प्रक्रिया:** ➢ पहला मसौदा: फरवरी, 1948 में प्रकाशित किया गया ➢ जन प्रतिक्रिया अवधि: 8 महीने तक चली थी ➢ दूसरा मसौदा: अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित किया गया ➢ कुल बैठकें: 141 दिन तक चली ➢ कुल समय: 6 महीने से कम समय लगा

अन्य छोटी समितियाँ एवं उनके अध्यक्ष:

- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद:** वित्त और स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति
- **अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर:** प्रमाणीकरण समिति (Credentials Committee)
- **बी. पट्टाभि सीतारमैया:** सदन समिति (House Committee), मुख्य आयुक्तों के प्रांतों की समिति
- **नलिनी रंजन सरकार (गैर-सदस्य):** वित्तीय उपबंध समिति
- **एस.के. दार (गैर-सदस्य):** भाषाई प्रांत आयोग
- **जवाहरलाल नेहरू:** प्रारूप संविधान समिति

- **उषा नाथ सेन:** प्रेस गैलरी समिति
- **एस. वरदाचारि (गैर-सदस्य):** नागरिकता समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति
- **डॉ. के.एम. मुंशी:** कार्यसूची समिति
- **जी.वी. मावलंकर:** संविधान सभा की कार्यप्रणाली समिति

संविधान का अधिनियमन एवं प्रवर्तन

अधिनियमन (Enactment):

- **भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत** किया गया।
- 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।
- अंगीकरण के समय संविधान में **395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और एक प्रस्तावना** सम्मलित थी।
- प्रस्तावना को सबसे अंत में अंगीकृत किया गया, ताकि यह संविधान के समग्र दर्शन एवं मूल सिद्धांतों को प्रतिबिंबित कर सके।

प्रवर्तन (Commencement):

- संविधान के कुछ प्रावधान जैसे **नागरिकता, चुनाव और अस्थायी संसद से संबंधित प्रावधान 26 नवंबर, 1949 को लागू** किये गये ।
- भारत को गणराज्य घोषित करने सहित संविधान के शेष प्रमुख प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। इसीलिए **26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

मुख्य घटनाएँ

- 26 जनवरी, 1930: पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है — ये दिन पूर्ण स्वतंत्रता की माँग का प्रतीक रहा है।
- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 395** द्वारा 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम को आधिकारिक रूप से निरस्त कर दिया गया, हालांकि 'प्रीवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम (1949)' प्रभावी बना रहा।
- 10 अक्टूबर 1949 से प्रभावी 'प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम' द्वारा ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की न्यायिक सर्वोच्चता को समाप्त कर संघीय न्यायालय (Federal Court) को भारत का सर्वोच्च अपीलीय निकाय बना दिया गया।

भारतीय संविधान के स्रोत

लोकतंत्र का आधार स्तंभ, भारतीय संविधान, वैश्विक संवैधानिक अनुभवों का एक अनूठा संगम है। जिस प्रकार कोई कलाकार विभिन्न रंगों को मिलाकर एक उत्कृष्ट कृति बनाता है, उसी प्रकार संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के उदान्त सिद्धांतों और आदर्शों को सम्मिलित कर हमारे राष्ट्र के मार्गदर्शक दस्तावेज़ का निर्माण किया है।

स्रोत	विभिन्न देशों से अपनाए गए प्रावधान
भारत सरकार अधिनियम, 1935	इसके द्वारा संघीय योजना, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण शामिल किये गये।
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन (Rule of Law), एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता और विशेषाधिकार (परमाधिकार रिटें) रिटें ।

संयुक्त राज्य अमेरिका	मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का पद।
आयरलैंड	राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन।
कनाडा	मजबूत केंद्र के साथ संघात्मक ढांचा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार।
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन
जर्मनी (वाईमार संविधान)	आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन।
सोवियत संघ (USSR)	मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना (उद्देशिका) में **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक** न्याय का आदर्श।
फ्रांस	गणराज्य और उद्देशिका में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
दक्षिण अफ्रीका	संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया ।
जापान	विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law)।

भारतीय संविधान का निर्माण एक अनुकरणीय सहयोगात्मक प्रयास था, जिसे संविधान सभा में हुए विविध विचारों और व्यापक विचार-विमर्श से अंतिम रूप दिया गया। यह दस्तावेज़ न केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य की संरचना करता है, बल्कि समानता और स्वतंत्रता के मूल्यों को समाहित करता है। इसका अंगीकरण ही भारत के शासन तंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

Toppersnotes
Unleash the topper in you

2 CHAPTER

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

विश्व के विभिन्न संविधानों के गहन विश्लेषण से निर्मित भारतीय संविधान को वैश्विक स्तर पर एक **'जीवंत दस्तावेज़'** के रूप में सराहा गया है। हालाँकि इसमें कई प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं, जिन्हें हुबहू अपनाने की बजाय भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिपेक्ष्य में परिष्कृत कर सम्मिलित किया गया है। यही कारण है कि भारतीय संविधान केवल एक संकलन न होकर अपनी विशिष्टताओं के कारण विश्व के अन्य संविधानों से पृथक और अद्वितीय है।"

भारतीय संविधान की विशेषताएँ:

- **सबसे लंबा लिखित संविधान: 1949 में भारत के मूल संविधान में एक उद्देशिका, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ सम्मलित थीं**। संशोधनों के चलते यह **वर्तमान में लगभग 470 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों** तक विस्तृत हो चुका है।
  - ✓ इसके विस्तृत स्वरूप का कारण भारत की विविधता, विशालता, ऐतिहासिक कारक और संविधान सभा की विधिक विशेषज्ञता रही है।
- **प्रावधानों के स्रोत:** इसके विभिन्न प्रावधान अंतरराष्ट्रीय संविधानों और मुख्य रूप से **अधिकतर भारत सरकार अधिनियम, 1935** से लिए गए हैं।
  - ✓ संविधान का **संरचनात्मक भाग**– भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है।
  - ✓ संविधान का **राजनीतिक भाग**– ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
  - ✓ संविधान का **दार्शनिक भाग** (मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्व)– अमेरिकी और आयरलैंड संविधान से लिए गये हैं।
- **संविधान का एकात्मक झुकाव वाला संघीय ढांचा: संविधान में "संघ" शब्द का प्रयोग नहीं** किया गया है, अपितु भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को "राज्यों का संघ" घोषित करता है।
  - ✓ संविधान की **संघीय विशेषताएँ:** द्वि स्तरीय सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनीयता, संवैधानिक सर्वोच्चता इसे संघीय बनाता है।
  - ✓ संविधान की **एकात्मक विशेषताएँ:** सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान आदि संविधान को एकात्मक संविधान बनाते हैं।
- **कठोरता और लचीलापन** संविधान**:** भारत के संविधान संशोधन प्रक्रिया में अमेरिकी संविधान की कठोरता और ब्रिटेन के संविधान का लचीलापन , दोनों का मिश्रण शामिल है।
- **संसदीय शासन प्रणाली:** इसमें **कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी** होती है, जो ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है।
- **संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय:** इससे भारत ने ब्रिटेन से संसदीय संप्रभुता और अमेरिका से न्यायिक सर्वोच्चता का समावेश अपनाया है।
- **एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका:** भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

- **मौलिक अधिकार (भाग III):** भारतीय संविधान का यह भाग राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार शामिल थे परन्तु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिए गये हैं।
- **राज्य के नीति निदेशक तत्व (भाग IV):** भारतीय संविधान का यह भाग **सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं** तथा **कल्याणकारी राज्य की अवधारणा** को बढ़ावा देते हैं।
- **मौलिक कर्तव्य:** ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे परन्तु इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया ,जिसमे अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्यों की सूची है।
- **धर्मनिरपेक्ष राज्य: 42वें संविधान संशोधन द्वारा** उद्देशिका में **"धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता" शब्द जोड़ा** गया। यह सभी धर्मों के प्रति समभाव और धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता को बढ़ावा देता है।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988**, द्वारा **मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष** कर दी गई।
- **एकल नागरिकता:** अमेरिका के विपरीत, जहाँ राज्य और केंद्र की दो नागरिकताएँ होती हैं, वहीँ **भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान** है तथा भारत में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं।
- **स्वतंत्र संस्थाएँ:** चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग आदि संवेधानिक संस्थाये शामिल हैं। ये अपना कार्य निष्पक्ष हो कर करती हैं।
- **आपातकालीन प्रावधान:** ये संवेधानिक प्रावधान जिसमे **अनुच्छेद 352, 356 एवं 360 शामिल** हैं जो राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संकट की स्थिति में लागू किए जाते हैं।
- **त्रि-स्तरीय शासन प्रणाली:** यह **अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों** को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय शासन सशक्त होता है।
- **सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा: 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011, द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा** प्रदान किया गया।

भारतीय संविधान के भाग

भाग (Part)	विवरण (Subject)	अनुच्छेद (Articles)
I	संघ और उसका क्षेत्र	1 से 4
II	नागरिकता	5 से 11
III	मौलिक अधिकार	12 से 35
IV	राज्य के नीति निदेशक तत्व	36 से 51
IV-A	मौलिक कर्तव्य	51-A
V	संघ सरकार	52 से 151
	अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अध्याय IV - संघ न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	52 से 78 79 से 122 123 124 से 147 148 से 151
VI	राज्य सरकारें	152 से 237

	अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय V - उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 153 से 167 168 से 212 213 214 से 232 233 से 237
VIII	संघ राज्य क्षेत्र	239 से 242
IX	पंचायतें	243 से 243-O
IX-A	नगरपालिकाएँ	243-P से 243-ZG
IX-B	सहकारी समितियाँ	243-ZH से 243-ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244-A
XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध	245 से 263
	अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 से 255 256 से 263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद	264 से 300-A
	अध्याय I - वित्त अध्याय II - उधार अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264 से 291 292 से 293 294 से 300 300-A
XIII	भारत की सीमाओं के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतःक्रिया	301 से 307
XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
	अध्याय I - सेवाएँ अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 से 314 315 से 323
XIV-A	प्राधिकरण (ट्रिब्यूनल्स)	323-A से 323-B
XV	निर्वाचन	324 से 329-A
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330 से 342
XVII	राजभाषा	343 से 351
	अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ अध्याय III - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV - विशेष निर्देश	343 से 344 345 से 347 348 से 349 350 से 351
XVIII	आपात उपबंध	352 से 360
XIX	विविध	361 से 367
XX	संविधान का संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369 से 392
XXII	संक्षिप्त शीर्षक, प्रवर्तन, अधिकृत हिंदी पाठ और निरसन	393 से 395

भारतीय संविधान की अनुसूचियां:

अनुसूचियाँ	विवरण	संबंधित अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनकी प्रादेशिक सीमा का विस्तार 2. केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार-क्षेत्र	अनुच्छेद 1-4
द्वितीय अनुसूची	निम्नलिखित के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान: 1. भारत के राष्ट्रपति 2. राज्यों के राज्यपाल 3. लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 4. राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 5. राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 6. राज्यों में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति 7. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 8. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 9. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक	अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219
तृतीय अनुसूची	शपथ या प्रतिज्ञान के प्रकार: 1. केंद्रीय मंत्री 2. संसद के लिए चुनाव हेतु उम्मीदवार 3. संसद सदस्य 4. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 6. राज्य मंत्री 7. राज्य विधानमंडल के चुनाव हेतु उम्मीदवार 8. राज्य विधानमंडल के सदस्य 9. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188, 219 आदि
चौथी अनुसूची	राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन।	अनुच्छेद 4(1) और 80(2)
पांचवी अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान।	अनुच्छेद 244
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।	अनुच्छेद 244(2) और 275(1)
सातवीं अनुसूची	केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सूची-I (संघ सूची), सूची-II (राज्य सूची) और सूची-III (समवर्ती सूची) के आधार पर किया गया है। वर्तमान में- ➢ संघ सूची में 100 विषय हैं (मूल संविधान में 97 थे) ➢ राज्य सूची में 61 विषय हैं (मूल संविधान में 66 थे) ➢ समवर्ती सूची में 52 विषय हैं (मूल संविधान में 47 थे)	अनुच्छेद 246

Toppersnotes Unleash the topper in you

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
सूचियों में शामिल मुख्य विषय-
<table>
<tr><th>संघ सूची</th><th>राज्य सूची</th><th>समवर्ती सूची</th></tr>
<tr><td>रक्षा और सशस्त्र बल</td><td>लोक व्यवस्था</td><td>शिक्षा</td></tr>
<tr><td>बैंकिंग और बीमा</td><td>पुलिस</td><td>वन</td></tr>
<tr><td>मुद्रा और सिक्का निर्माण</td><td>सार्वजनिक स्वास्थ्य</td><td>विवाह, उत्तराधिकार और तलाक</td></tr>
<tr><td>विदेशी मामले</td><td>कृषि, व्यापार और वाणिज्य</td><td>दिवालियापन</td></tr>
<tr><td>परमाणु ऊर्जा</td><td>स्थानीय शासन</td><td>आपराधिक कानून</td></tr>
<tr><td>दूरसंचार</td><td>पशुधन और पशुपालन</td><td>साझेदारी अनुबंध</td></tr>
<tr><td>रेल, डाक और तार</td><td>सट्टेबाजी और जुआ</td><td>व्यापार संघ और सामाजिक सुरक्षा</td></tr>
</table>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>आठवीं अनुसूची</td>
<td>संविधान में मूल रूप से 14 मान्यता प्राप्त भाषाएँ थीं, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ हो गयी हैं। वे हैं- असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी (डोंगरी), गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
➢ सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 के तहत जोड़ा गया।
➢ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत जोड़ा गया।
➢ बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के तहत शामिल किया गया।</td>
<td>अनुच्छेद 344(1) और 351</td>
</tr>
<tr>
<td>नौवीं अनुसूची</td>
<td>अधिनियम और विनियम (मूल रूप से 13, लेकिन वर्तमान में 282) — इनमें 19 अधिनियम राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए ऐसे अधिनियम शामिल हैं, जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा की समाप्ति से संबंधित हैं तथा संसद द्वारा बनाए गए अन्य विषयों से संबंधित अधिनियम भी इसमें शामिल हैं।
यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा जोड़ी गई थी, ताकि इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा (Judicial Scrutiny) से संरक्षण दिया जा सके।
हालाँकि, 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल, 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानून अब न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे।</td>
<td>अनुच्छेद 31B</td>
</tr>
<tr>
<td>दसवीं अनुसूची</td>
<td>इसमें संसद और राज्य विधायिकाओं के सदस्यों के दलबदल (defection) के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे आमतौर पर दल-बदल विरोधी कानून (Anti-defection Law) के रूप में भी जाना जाता है।</td>
<td>अनुच्छेद 102(2) और 191(2)</td>
</tr>
</table>

ग्यारहवीं अनुसूची	इसमें **पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का उल्लेख** है– **इसमें 29 विषय शामिल** है जो की स्थानीय स्वशासन से सम्बंधित हैं। यह अनुसूची **73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी** गई थी।	अनुच्छेद 243G
बारहवीं अनुसूची	इसमें **नगरपालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का उल्लेख** है– इसमें **18 विषय शामिल** हैं। यह अनुसूची **74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ी** गई थी।	अनुच्छेद 243W

भारतीय संविधान का मूल ढाँचा :

- प्रारंभ में भारतीय संविधान के मूल ढाँचे जैसी कोई अवधारणा शामिल नहीं थी, परन्तु सर्वोच्य न्यायालय के एक वाद जो की **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973)** है, के मामले से **मूल ढांचे की अवधारणा विकसि**त हुई ।
- यह संविधान के बुनियादी और मौलिक मूल्यों से युक्त आधारभूत सिद्धांतों को सम्मिलित करता है, जिसे संविधान की रीढ़ माना गया हैं। संविधान के **अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद, संविधान के मूल ढाँचे में संशोधन नहीं कर सकती है।**

1. मूल ढाँचा सिद्धांत से जुड़े प्रमुख न्यायिक निर्णय

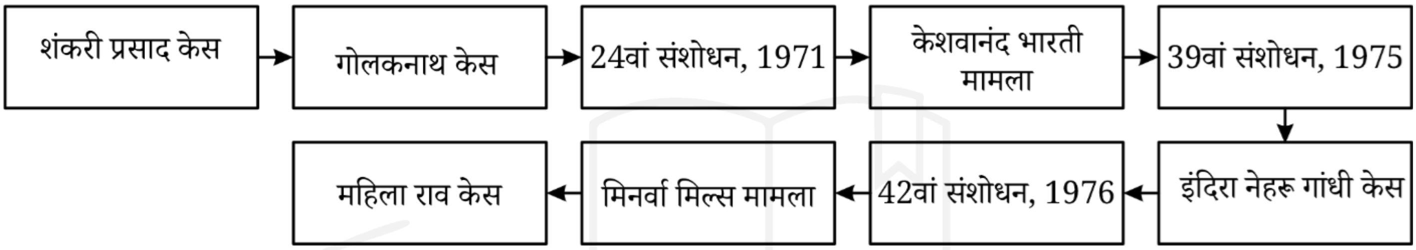

वाद/केस	निर्णय
शंकरी प्रसाद बनाम संघ सरकार (1951)	➢ इसमें प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम,1951 की वैधता को चुनौती दी गई, जो संपत्ति के अधिकार को सीमित करता था। ➢ इस वाद में सर्वोच्य न्यायालय ने कहा, कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ➢ अनुच्छेद 13 केवल सामान्य कानूनों पर लागू होता है, संविधान संशोधन पर लागु नहीं होता है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)	➢ इस वाद के तहत 17वें संविधान संशोधन अधिनियम,1964 को चुनौती दी गई, जो कुछ राज्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल करता है। ➢ सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं हटा सकती और संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'कानून' हैं।
संसद की प्रतिक्रिया	➢ **24वां संविधान संशोधन अधिनियम (1971)-** अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया। इसके तहत संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को हटा सकती है और ऐसे संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'कानून' नहीं माने जाएंगे।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)	➢ इसने 29वें संविधान संशोधन अधिनियम (केरल भूमि सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया) को चुनौती दी। ➢ सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ वाद के निर्णय को पलटते हुए 24वें संशोधन को वैध ठहराया।

	➢ **इसमें मुख्य रूप से न्यायालय ने 'मूल ढाँचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)' को प्रतिपादित किया और कहा कि संसद संविधान के मूल ढाँचे में संसोधन नही कर सकती है** । ➢ संसद ऐसे किसी मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा हैं।
39वां संविधान संशोधन अधिनियम (1975)	➢ इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी याचिकाओं को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया।
इंदिरा नेहरू गांधी मामला (1975)	➢ सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 39वें संशोधन को असंवैधानिक ठहराया और कहा कि न्यायपालिका की 'न्यायिक पुनरावलोकन' की शक्ति संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा है।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976)	➢ संसद द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद की संशोधन करने की शक्तियों को असीमित बताया गया और संशोधनों की न्यायिक समीक्षा को निषिद्ध (रोक) किया गया।
मिनर्वा मिल्स मामला (1980)	➢ सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संशोधन, अधिनियम के इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि 'न्यायिक पुनरावलोकन' संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न हिस्सा है।
वामन राव मामला (1981)	➢ इस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचा सिद्धांत की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि यह **मूल ढाँचे सिद्धांत 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद मामला) के बाद किए गए सभी संविधान संशोधनों पर लागू होगा।**

2. मूल ढाँचे के घटक या तत्व

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के साथ, विभिन्न तत्व मूल संरचना के अंग के रूप में उभरे हैं।

महत्वपूर्ण मामला	मूल संरचना के तत्व
इंदिरा नेहरू गांधी मामला (1975)	➢ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है ➢ व्यक्ति को प्रस्थिति और अवसर की समानता प्राप्त है ➢ व्यक्ति को पंथनिरपेक्षता और अंत:करण तथा धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है ➢ न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है ➢ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अनिवार्य रूप से निहित है
मिनर्वा मिल्स मामला (1980)	➢ संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति प्राप्त है ➢ न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति न्यायालय को प्राप्त हुई ➢ मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य बना
इंद्रा साहनी मामला (1992)	➢ विधि का शासन (Rule of Law) स्थापित किया गया |
एस.आर. बोम्मई मामला (1994)	➢ संघवाद ➢ पंथनिरपेक्षता ➢ लोकतंत्र

	➢ राष्ट्र की एकता और अखंडता ➢ सामाजिक न्याय ➢ न्यायिक पुनरीक्षण आदि सभी इस वाद द्वारा स्थापित किये गये।
एल. चंद्र कुमार मामला (1994)	➢ इसमें अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ निहित हैं
आई.आर. कोएल्हो मामला (2007)	➢ विधि का शासन स्थापित किया गया। ➢ शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। ➢ मौलिक अधिकारों के अंतर्निहित सिद्धांत दिए गये। ➢ न्यायिक पुनरीक्षण का न्यायालय का अधिकार पुनः स्थापित किया गया। ➢ समानता का सिद्धांत दिया गया।

वरीयता क्रम

➢ वरीयता क्रम एक **आधिकारिक प्रोटोकॉल सूची** होती है, जिसे **गृह मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एवं निर्मित** किया जाता है। यह भारत सरकार में पद और कार्यालय के आधार पर पदाधिकारियों और अधिकारियों की रैंकिंग प्रदान करता है।

➢ **उद्देश्य:**

✓ इसे **राजकीय और औपचारिक अवसरों पर प्रोटोकॉल हेतु उपयोग** किया जाता है, जैसे गणतंत्र दिवस परेड, राजकीय भोज और कूटनीतिक कार्यक्रम।

✓ सरकार के दैनिक प्रशासन पर यह लागू नहीं होता है।

1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. राज्यों के राज्यपाल
5. पूर्व राष्ट्रपति

   5A. उप प्रधानमंत्री
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश = लोकसभा के अध्यक्ष
7. संघ के कैबिनेट मंत्री = राज्यों के मुख्यमंत्री = नीति आयोग के उपाध्यक्ष = पूर्व प्रधानमंत्री = राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता

   7A. भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्ति
8. भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण और पूर्णाधिकार राजदूत एवं उच्चायुक्त = राज्यों के बाहर के मुख्यमंत्री = राज्यों के बाहर के राज्यपाल
9. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

   9A. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष = मुख्य चुनाव आयुक्त = भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
10. राज्यसभा के उपसभापति= राज्यों के उप मुख्यमंत्री = लोकसभा के उपाध्यक्ष = नीति आयोग के सदस्य = राज्य मंत्री
11. भारत के महान्यायवादी = कैबिनेट सचिव = केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

3
CHAPTER

संविधान की प्रस्तावना

भारत का संविधान
उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

- **प्रस्तावना को संविधान के परिचय** के रूप में जाना जाता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव (Objective Resolution) पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार कर संविधान सभा में प्रस्तुत किया तथा संविधान सभा द्वारा इसे **22 जनवरी 1947** को अंगीकार किया था ।
- संविधान सभा ने संविधान के शेष भागों को अपनाने के बाद प्रस्तावना को संविधान का अंग बनाया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह संविधान की सम्पूर्ण रूपरेखा के साथ संगतता और सामंजस्य बनाए रखे।
- अब तक इसे केवल एक बार **42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें तीन नए शब्द जोड़े गए– 'समाजवादी (Socialist)', 'पंथनिरपेक्ष (Secular)' और 'अखंडता (Integrity)' जोड़े गये।**
- प्रस्तावना संविधान सभा का महान और उदात्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें संविधान निर्माताओं के स्वप्न, विचार और आकांक्षाएँ झलकती है।
- यह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable) नहीं है, अर्थात् इसे न्यायालयों द्वारा म लागू नहीं किया जा सकता।

प्रस्तावना की विभिन्न व्याख्याएँ:

- “संविधान का पहचान पत्र” —एन. ए. पालखीवाला
- “हमारे संप्रभु भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्मकुंडली” —के. एम. मुंशी
- “न्यायिक व्याख्या के लिए मार्गदर्शक प्रकाश” — केशवानंद भारती मामले में न्यायमूर्ति सीकरी

प्रस्तावना के प्रमुख घटक

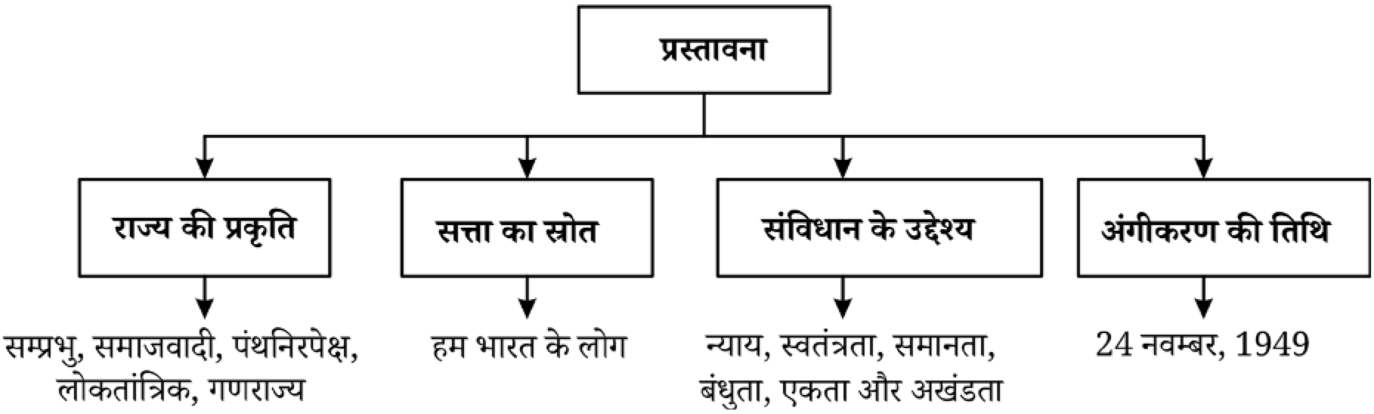

प्रस्तावना के प्रमुख शब्द – अर्थ एवं विशेषताएँ

1. **“हम भारत के लोग” -** यह दर्शाता है कि **संविधान भारतीय जनता द्वारा स्वयं के लिए ही बनाया गया है। यह लोक संप्रभुता (Popular Sovereignty) के सिद्धांत को बल देता** है, जिसका तात्पर्य है कि संविधानिक सत्ता का अंतिम स्रोत भारत की जनता है।
2. **सम्प्रभु-** इसका तात्पर्य है कि **भारत एक पूर्णत: स्वतंत्र राष्ट्र** है, जो किसी भी अन्य देश के अधिकार या नियंत्रण से मुक्त है। यह राष्ट्र की संप्रभुता को दर्शाता है, जिससे भारत को आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।
3. **समाजवादी-** समाजवाद एक ऐसी आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व या सरकारी नियंत्रण होता है। इसका उद्देश्य आर्थिक विषमता को कम करना तथा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।
   - ✓ **मूल संविधान में "समाजवादी" शब्द शामिल नहीं था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया** ।
   - ✓ राज्य के नीति निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 से 51) समाजवादी सिद्धांतों पर जोर देते हैं, जो राज्य को सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में कार्य करने का निर्देश देते हैं।
   - ✓ **भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनूठा मिश्रण है।**

गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का लक्ष्य राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज बनाना है, लेकिन उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है।

- मार्क्सवाद राज्य को शोषण का एक साधन मानता है, जो पूंजीपति वर्ग (bourgeoisie) के हितों की सेवा करता है। यह वर्ग संघर्ष और क्रांति के जरिए अंततः एक राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की वकालत करता है।
- दूसरी ओर, गांधीवाद न्यूनतम राज्य का भी विरोध करता है, क्योंकि वह बल (force) का प्रयोग करता है, जो अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है। गांधीजी ने इसके बजाय स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण पर जोर दिया, साथ ही विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया।

4. **पंथनिरपेक्ष (Secular) -** यह शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, बल्कि **इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा जोड़ा गया** था।
   - ✓ "पंथनिरपेक्ष" का तात्पर्य है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
   - ✓ पंथनिरपेक्षता संविधान के मूल ढाँचे का अनिवार्य हिस्सा है।
   - ✓ सर्वोच्च न्यायालय ने यह मान्यता दी है, कि पंथनिरपेक्षता संविधान में स्वाभाविक रूप से निहित थी, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 से 28 में, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

मापदंड	भारतीय पंथनिरपेक्षता	पश्चिमी पंथनिरपेक्षता
परिभाषा और इतिहास	➢ **सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता** रखता है ➢ इसकी उत्पति प्राचीन सहिष्णुता की परंपराओं में निहित है।	➢ यहाँ **चर्च और राज्य के पृथक्करण की अवधारणा** है ➢ यूरोप में धार्मिक युद्धों की प्रतिक्रिया के रूप में यह उत्पन्न हुआ।
धर्म की भूमिका	➢ राज्य धार्मिक गतिविधियों में समर्थन दे सकता है और भाग ले सकता है।	➢ राज्य का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप निषिद्ध है।
धर्म का प्रदर्शन	➢ सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है ।	➢ आमतौर पर सार्वजनिक धार्मिक प्रदर्शन को सीमित करता है।
राज्य का हस्तक्षेप	➢ हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप करता है।	➢ जब तक कानून का उल्लंघन न हो, राज्य हस्तक्षेप नहीं करता।
कानून संहिता और धर्म से संबंध	➢ व्यक्तिगत कानून धर्म के अनुसार भिन्न होते हैं; ➢ कई धार्मिक सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है।	➢ एक समान नागरिक संहिता लागू होती है ➢ सभी कानून धर्म से स्वतंत्र होते हैं।
धर्म और समाज	➢ धर्म समाज का अभिन्न हिस्सा है।	➢ धर्म को एक व्यक्तिगत विषय के रूप में देखा जाता है।
धार्मिक मुद्दों पर दृष्टिकोण	➢ अंतर-धार्मिक और अंतर्धार्मिक दोनों मुद्दों को संबोधित करता है।	➢ मुख्यतः अंतर्धार्मिक मुद्दों पर केंद्रित होता है।
अधिकार और प्रभाव	➢ व्यक्तिगत और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करता है; ➢ धार्मिक समूह राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।	➢ समग्र स्वतंत्रता पर बल देता है ➢ सरकार में धार्मिक निकायों की भूमिका सीमित होती है।

5. **लोकतांत्रिक (Democratic)-** लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है, कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, वे स्वम चुनाव में भाग ले सकते हैं और लोकतान्त्रिक तरीके से अपने नेता का चुनाव कर सकते तथा उनके कार्यों के लिए उन्हें जवाबदेह ठहरा सकें।
   - ✓ यह लोक संप्रभुता के सिद्धांत में निहित है, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है, जिससे शासन प्रतिनिधिक और जवाबदेह बनता है।
6. **गणराज्य (Republic)- गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता जनता के पास होती** है (राजा या सम्राट के पास नहीं), जिससे कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होता और बिना किसी भेदभाव के सभी को सार्वजनिक पदों तक समान पहुंच मिलती है। राजनीतिक संप्रभुता सामूहिक नागरिकों के पास रहती है, जिससे शासन में समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है।
   - ✓ **भारतीय गणराज्य:** यहाँ राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।